23/3/2022 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या –778/2020

प्रार्थी – राजेन्द्र पुत्र मीसा राम जाति जाट निवासी आन्तरोली कलां तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण – तहसीलदार डेगाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री कमलेश नारायण व्यास

दिनांक 23/3/2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम आन्तरोली कलां तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.5800 हैक्टेयर व खसरा नंबर 331 रकबा 1.4600 हैक्टेयर व खसरा नंबर 104/3 रकबा 0.0300 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त जमीन प्रार्थी की खातेदारी सुदा है। प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र मीसा राम है जो नाम इनके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में दर्ज है। खसरा नंबर 104/2, 331, 104/3 का नामान्तकरण भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र मीसा राम दर्ज होना था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का नाम राजूराम पुत्र मीसाराम नामान्तकरण में गलत दर्ज हो गया। राजेन्द्र पुत्र मीसा राम व राजूराम पुत्र मीसाराम नाम का वादी एक ही व्यक्ति है दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं है। राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज होने से वादी अपने जायज हकों का उपयोग करने में परेशान हो रहा है। उक्त नाम दुरूस्त किये जाने से किसी अन्य सहखातेदार का हक प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आन्तरोली कलां तहसील डेगाना के खसरा नंबर 104/2, 331, 104/3 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम राजूराम पुत्र मीसाराम के स्थान पर सही नाम ~~राजूराम~~ राजेन्द्र पुत्र मीसा राम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व ग्राम आन्तरोली कलां के खसरा नंबर 104/2, 331, 104/3 में प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र मीसाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में राजूराम

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

पुत्र मीसाराम दर्ज है एवं अन्य संलग्न दस्तावेज में राजेन्द्र पुत्र मीसा राम दर्ज है। अतः ग्राम आन्तरोली कलां के खसरा नंबर 104/2, 331 व 104/3 में राजूराम पुत्र मीसाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र मीसा राम जाति जाट शुद्व किया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम आन्तरोली कलां तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.5800 हैक्टेयर व खसरा नंबर 331 रकबा 1.4600 हैक्टेयर व खसरा नंबर 104/3 रकबा 0.0300 हैक्टेयर की नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 में राजूराम पुत्र मीसाराम की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी अन्य लोक दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र मीसा राम दर्ज है। तहसीलदार डेगाना ने अपने जवाब में उक्त खसरान की भूमि की खातेदारी में राजूराम पुत्र मीसाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र मीसा राम किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं भूमिधारी की रिपोर्ट/जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम आन्तरोली कलां तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खसरा नंबर 104/2 रकबा 0.5800 हैक्टेयर व खसरा नंबर 331 रकबा 1.4600 हैक्टेयर व खसरा नंबर 104/3 रकबा 0.0300 हैक्टेयर में दर्ज नाम राजूराम पुत्र मीसाराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र मीसा राम शुद्व किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23/3/2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)